रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1969/श्रावण 6, 1891

No. 128] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1969/SRAVANA 6, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1969

G.S.R. 1791.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (20 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 1969 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 7(6)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.
& Legislative Counsel.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1969

जी० एस० आर० 1792.—पश्चिम बंगाल विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम, 1969 (1969 का 20) की धारा 1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, अगस्त, 1969 का प्रथम दिन उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है, जबकि कथित अधिनियम, प्रभाव में आएगा ।

[सं० फा० 7(6)/69-वि०-II]

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1969